उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): बहुत-बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने मृतक परिवारों के प्रति जो सहानुभूति दिखाई है उनके दुख में शामिल होने का जो विचार यहां व्यक्त किया है, आपके विचार के साथ-साथ और मेरे साथ सदन के सभी सदस्य उसमें सहभागी हैं, उनके दुख में सहभागी हैं। हम सब उनके परिवारों के लिए यह कामना करेंगे कि भगवान उनको इस प्रकार का सदमा बर्दाशत करने के लिए शक्ति प्रदान करें। उनको जो मदद देने की आपने घोषणा की है, उस मदद को भी वहां तक पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। .....**(व्यवधान)...**

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला: मैडम, जिस तरह से वह बोले हैं तो वह हाउस को एश्योरेंस दिलाएं कि वह ऐसी कोशिश करेंगे कि आज के बाद कोई एक्सीडेंट न हो। ...**(व्यावधान)...**

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मेरे सामने अभी कांस्टीट्यूशन-83वां अमैंडमेंट बिल -1997 है। श्री बोम्मई..

THE CONSTITUTION (EIGHTY-THIRD AMENDMENT) BILL– 1997

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOMENT (SHRI S.R. BOMMAI): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitutuion of India.

Madam, this makes elementary education a fundamental right.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI S.R. BOMMAI: Madam, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I now adjourn the House till eleven a.m. tomorrow.

The House then adjouned at fifty-seven minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 29th July, 1997.

MGIPF—472 GIPMR/98—300